अति–आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।

क्रमांकः– अराज / सामा / 2024 / 30 दिनांक– 10/6/24

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–राजस्थान।

विषयः– 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 1393 / प्रसुवि द्वारा श्रीमती गीता बरवड (41), माननीया सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न विधानसभा प्रश्न का जवाब आपके अधीन चिकित्सा संस्थानो / कार्यालयों से प्राप्त कर एवं **निम्न प्रपत्र अपने स्तर पर ईकजाई कर 03 दिवस** में ईमेल आईडी– nggeneral107@gmail.com पर हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकापी (एक्सल सीट में) में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि विधानसभा प्रश्नों के जवाब समय पर नही देने को अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर द्वारा अति गंभीरता से लिया है, सूचना / उत्तर भिजवाने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने की स्थिति में संबंधित की व्यक्तिशः जिम्मेदारी मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रश्न

1. प्रदेश में कितने कर्मचारी तीन वर्षो से ज्यादा एक ही अनुभाग एवं पद पर कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।
2. क्या राज्य सरकार रोटेशन पद्धति के तहत इनके अनुभाग एवं पद बदलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

प्रपत्र

तीन वर्ष एवं तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही अनुभाग में कार्यरत कार्मिकों की सूचना

क.स.	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण तिथि	वर्तमान अनुभाग में कार्यग्रहण तिथि	वर्तमान अनुभाग कार्यावधि 31.05.2024 की स्थिति में (वर्ष माह दिन)

निदेशक (अराजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांकः– अराज / सामा / 2024 / दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (विधानसभा) मुख्यालय को उनकी अनौ0 टिप्पणी कमांक 2707 दिनांक 10.06.2024 के कम में
4. नियंत्रण अधिकारी, समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपसे संबंधित सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन के मार्फत ही भिजवाये। सीधे निदेशालय को सूचना प्रेषित करने की स्थिति में पडने वाले विपरित प्रभाव के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
5. संस्थापन अधिकारी, अराजपत्रित अनुभाग को भेजकर लेख है की प्रश्न के संबंध में निदेशालय स्तर की सूचना तैयार कर अधोहस्ताक्षकर्ता को अविलम्ब उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये समस्त जोन को ईमेल भी करें।

निदेशक (अराजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।